

26.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की और से पैरोकार उपस्थित, जिन्होंने वाद पत्र के मंजूर किये जाने में कोई उजर आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी ने वादपत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। प्रकरण का अधो-पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद में प्रस्तुत शपथपत्र, एवं वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेखों एवं कलमबद्ध बयानों के अध्ययन से अभिलेखों पर मनन करने के पश्चात वादी का वादपत्र बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

वादी का वादपत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर, सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

